...का पक्ष हो।

30.8-22 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22.9.22 को पेश हो।

22.9.22 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी प्रथम का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया बहस वाद पत्र सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आज्ञप्ति डिक्री जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अहल
इल्म क
े जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

25 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 05.04.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. मुकेश कुमार आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 हाल नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।

—वादी

बनाम

1. मुरारी आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. साहबलाल आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. रामभरोसी पुत्री गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. चतरी पत्नि गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. मुकेश आत्मज शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. मूर्ति पुत्री शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. राजेन्द्र पुत्र शातिं जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. काली पुत्री शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

9. कलावती पुत्री रामनाथ पत्नि बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी ढीपरी काली सिन्ध तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

10. कान्ति पुत्री रामनाथ जाति बैरवा नि0 अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।

11. महावीर पुत्र हरिप्रकाश जाति बैरवा निवासी अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।

12. सीता पत्नि हरिप्रकाश जाति बैरवा निवासी अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।

13. नटी बाई पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

14. पुष्पा पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

15. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट0 ।

उपस्थित :— 1.श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट(वादी)

—: निर्णय :— **दिनांक :— 22.09.2022**

वादी द्वारा वाद—पत्र पेश कर कथन किया कि खाता सं0 74 ख0सं0 389 रकबा 1.03 हैक्ट0, ख0सं0 396 रकबा 0.26 हैक्ट0, ख0सं0 428 रकबा 0.50 हैक्ट0, ख0सं0 429 रकबा 0.22 हैक्ट0 ,ख0सं0 730 रकबा 0.70 हैक्ट0, ख0सं0 431/3 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 6 योग रकबा 2.89 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है।जिसमें वादी हिस्सा 1/12 का संयुक्त खातेदार दर्ज रिर्कोड

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

चला आ रहा है।वाद–वर्णित आराजी वादी की पैतृक कृषि भूमि है वादी के पिता की मृत्यु पश्चात खुले विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम मुकेश कुमार के स्थान पर भंवरलाल दर्ज कर दिया गया।जो कि गलत है वादी द्वारा राजस्व रिर्कोड में अपना नाम शुद्व कराने बाबत कई बार प्रार्थना–पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ को दिये जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नही की गयी अन्त में निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिर्कोड में भवंरलाल के स्थान पर मुकेश कुमार शुद्व किये जाने डिक्री फरमायी जावे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी वादी ने अपने वाद–पत्र के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 नामान्तकरण सं0 14 दिनांक 09.09.1998 नकल जमाबन्दी संवत 2060 से 2065, नकल जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 की प्रति एवं भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र आधार कार्ड,ड्राइविंग लाईसेंस,पेनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की गयी है एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों का दौहराव करते हुये वादी का नाम भवंरलाल के स्थान पर मुकेश कुमार राजस्व रिर्कोड में दर्ज कराने का निवेदन किया।पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण सं0 14 दिनांक 09.09.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता की मृत्यु पश्चात खोले गये नामान्तकरण में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गोबरीलाल दर्ज किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मुकेश कुमार पुत्र गोबरीलाल दर्ज है अतः न्यायहित में वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

अतः वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75खाता सं0 74 ख0सं0 389 रकबा 1.03 हैक्ट0, ख0सं0 396 रकबा 0.26 हैक्ट0, ख0सं0 428 रकबा 0.50 हैक्ट0, ख0सं0 429 रकबा 0.22 हैक्ट0 ,ख0सं0 730 रकबा 0.70 हैक्ट0, ख0सं0 431 / 3 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 6 योग रकबा 2.89 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम भंवरलाल पिता गोबरीलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर भवंरलाल उर्फ मुकेश पिता गोबरीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड को दुरूस्त किया जावे।तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

प्राथमिक डिकी व मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम..........................लाखेरी.........:........व इजलास.......................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 मुकेश कुमार आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 हाल नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

1. मुरारी आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. साहबलाल आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. रामभरोसी पुत्री गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक इटावा तहसील इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. चतरी पत्नि गोबरीलाल जाति बैरवा नि0 नि.अशोक नगर इटावा तह0पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. मुकेश आत्मज शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. मूर्ति पुत्री शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. राजेन्द्र पुत्र शातिं जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. काली पुत्री शांति जाति बैरवा नि0माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. कलावती पुत्री रामनाथ पत्नि बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी ढीपरी काली सिन्ध तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. कान्ति पुत्री रामनाथ जाति बैरवा नि0 अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।
11. महावीर पुत्र हरिप्रकाश जाति बैरवा निवासी अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।
12. सीता पत्नि हरिप्रकाश जाति बैरवा निवासी अशोक नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी राजं0।
13. नटी बाई पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
14. पुष्पा पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
15. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट0

मुकदमा नम्बर.................................25 / दावा / 2021...सन..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...

.............व हाजिरी

1.श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट(वादी).......................................।मिनजानियमुद्दइकृ श्री ....एडवोकेट(प्रतिवादी)..

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072 75खाता सं0 74 ख0सं0 389 रकबा 1.03 हैक्ट0, ख0सं0 396 रकबा 0.26 हैक्ट0, ख0सं0 428 रकबा 0.50 हैक्ट0, ख0सं0 429 रकबा 0.22 हैक्ट0 ,ख0सं0 730 रकबा 0.70 हैक्ट0, ख0सं0 431/3 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 6 योग रकबा 2.89 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम भंवरलाल पिता गोबरीलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर भवंरलाल उर्फ मुकेश पिता गोबरीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड को दुरूस्त किया जावे।

....निज.......................................मुबलिग..बाबत..............
.........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **..22. ...माह..........09..........** **सन...2022**.......................को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)